FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रविन्द्र ~~कौर~~ कुमार **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सीपीसी प्रकरण 104 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/533

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2025	*आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सीपीसी पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रकरण के निर्णय दिनांक 21.08.2025 व डिक्री दिनांक 22.08.2025 में समझौतानामा में वादी को 3.692 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादीगण को 3.465 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई थी। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.08.2025 व डिक्री दिनांक 22.08.2025 को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे।* *हमने बहस विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 21.08.2025 व डिक्री दिनांक 22.08.2025 को दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया।* *हमने प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 254/2025 रविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार आदि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए के निर्णय तथा डिक्री का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन–निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्व की जा सकेगी"* *प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया, अनुतोष समझौतानामा में लेखन से भूल होने से हुआ है। अतः संशोधित डिक्री में प्रतिवादीगण का रकबा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस निर्णय के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया गया। संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।* सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)